Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बारां में ग्राम विकास अधिकारी 20 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *09 जनवरी, सोमवार* / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर बारां इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये दिलीप कुमार मेहरा ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कूंजेड़, पं.स. अटरू, जिला बारां को परिवादी से **20 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की बारां इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी फर्म द्वारा ग्राम पंचायत कूंजेड़ में किये गये निर्माण कार्य एवं सामग्री सप्लाई के बकाया करीब 4 लाख 50 हजार रुपये के बिलों के भुगतान की एवज में दिलीप कुमार मेहरा ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कूंजेड़, पं.स. अटरू, जिला बारां द्वारा 5 प्रतिशत कमीशन के हिसाब से **40 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी कोटा के **पुलिस अधीक्षक श्री आलोक श्रीवास्तव** के सुपरवीजन में एसीबी बारां इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री गोपाल सिंह कानावत** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री अनीस अहमद** द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये दिलीप कुमार मेहरा पुत्र श्री प्रभुलाल वर्मा निवासी पार्श्वनाथ जैन कॉलोनी, खेड़लीगंज, अटरू, जिला बारां हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कूंजेड़, पं.स. अटरू, जिला बारां को परिवादी से 20 **हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।